न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
005/2012 (GCMS 2012/00018)	21.05.2012	29.01.2021

अनवान

अशोक कुमार पिता राधेश्याम जोशी निवासी 42 आदर्श कॉलोनी निम्बाहेडा जिला जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती मांगी पिता केला जाति भील आयु वयस्क निवासी मानजी का गुडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ ।
2. मेघा पिता पिता केला जाति भील आयु वयस्क निवासी मानजी का गुडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ ।
3. वक्ता पिता पेमा जाति भील आयु वयस्क निवासी मानजी का गुडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ ।
4. भूरा पिता उंकार जाति भील आयु वयस्क निवासी बराडा तहसील चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ । (**दिनांक 18.09.2013 को संयोजित**)

अप्रार्थी

–:: प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 89 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 ::–

उपस्थिति :– श्री छोगालाल जाट अधिवक्ता प्रार्थी
श्री बीएल पोखरना अधिवक्ता अप्रार्थी

–:: निर्णय ::–

प्रकरण संख्या का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 89 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956के खिलाफ अप्रार्थी के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी रेड ऑकर खनन हेतु खनन पट्टा मानजी का गुडा तहसील भदेसर में स्थित है और उनके द्वारा माननीय न्यायालय में प्रारम्भ की जा रही इस कार्यवाही को भी करने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी को रेड ऑकर खनन हेतु खनन क्षेत्र में आने वाली भूमि का प्रार्थी के पक्ष में राजस्थान सरकार द्वारा मॉइनिंग लीज दी गई है और इस संबंध में लीज डीड दिनांक 20.07.2009 को निष्पादित हुआ और वर्तमान में लीज प्रभावशील है। उक्त लीज एरिया क्षेत्र में खातेदारान की निजी खातेदारी की भूमि पडती है। जिसकी प्रार्थी को रेडऑकर खनन हेतु धारा 89 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में वर्णित कार्य के लिए जो कानून की दृष्टि में खनन कार्य की परिभाषा में आता है आवश्यकता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:31:42 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है। उक्त भूमि का वर्णन इस प्रकार है। मानजी का गुडा की आराजी संख्या 220/3 रकबा 1–00 बीघा, आराजी संख्या 220/5 रकबा 3–12 बीघा। उक्त भूमि ग्राम मानजी का गुडा पटवार हल्का नन्नाणा तहसील भदेसर के जमाबंदी खाता संख्या 126 खसरा संख्या 220/3 रकबा 4 बीघा किस्म प–2 लगानी 4 रूपया में से 1 बीघा लगान 1 रूपया व खाता संख्या 95 खसरा नम्बर 220/5 रकबा 4 बीघा किस्म प–2 लगानी 4 रूपये में से 3 बीघा 12 बिस्वा किस्म प–2 लगानी 3 रूपया 50 पैसा है। उक्त भूमि की प्रार्थी को रेड ऑकर खनन हेतु आवश्यकता है। उक्त भूमि विक्रय पत्र दिनांक .... के भूरा पिता उंकार भील निवासी बराडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ को विक्रय कर दी है। जिसके नामान्तरकरण संख्या 650 दिनांक 06.08.2012 से एवं नामान्तरकरण संख्या 649 दिनांक 06.08.2012 से उक्त भूमि भूरा पिता उंकार भील निवासी बराडा के नाम पर दर्ज करने की स्वीकृति हुई है। खातेदारान विपक्षीयान के जमाबंदी की नकल प्रस्तुत की जा रही है। साथ ही प्रार्थी की लीज में प्राप्त भूमि का नक्शा भी प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त खसरा नंबर की भूमि को प्रार्थी को माइनिंग प्रयोजनार्थ राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 89 में वर्णित कार्यों के लिए नितांत आवश्यकता है और उसके अभाव में प्रार्थी रेड ऑकर खनन हेतु द्रुतगति से अपनी योजना के अनुसार कार्य नहीं हो पायेगा व रेडऑकर खनन कार्य पर विपरित प्रभाव पडेगा। इस कारण धारा 89 राज0 भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत प्रार्थी उक्त आराजी का उपयोग करने हेतु उसका आधिपत्य प्राप्त करना चाहता है और इस हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कारण प्रार्थी को आवेदन में चाही गई भूमि को धारा 89 के प्रावधानों के अंतर्गत सिपुर्द करवाये जाने का आदेश प्रदान करवाया जावें एवं श्रीमान् द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि भी प्रार्थी खातेदारान विपक्षीया को देने को तैयार है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को खातेदारान विपक्षी संख्या 4 के खाता संख्या 126 खसरा नंबर 220/3 रकबा 4 बीघा किस्म प–2 लगानी 4 रूपया में से 1 बीघा लगान 1 रूपया व खाता संख्या 95 खसरा नंबर 220/5 रकबा 4 बीघा किस्म प–2 लगानी 4 रूपया में से 3 बीघा 12 बिस्वा किस्म प–2 लगानी 3 रूपया 50 पैसा है ग्राम मानजी का गुडा पटवार हल्का नन्नाणा तहसील भदेसर में स्थित है कि मुआवजा राशि निर्धारित कर खातेदार विपक्षी संख्या 4 को देने हेतु निर्देशित फरमाया जावें ताकि प्रार्थी यह राशि जमा करवा देवे व इस भूमि का आधिपत्य प्रार्थी को दिलवाया जावें व राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के नाम अंकन लीज से करवाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

इस पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 11.09.2012 को आप्रार्थी संख्या 1 से 3 तक के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एत तरफा अमल में लाई गई एवं तहसीलदार भदेसर से सबंधित खातेदारान को नियमानुसार मुआवजा राशि के भुगतान के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त करने के आदेश दिये गये। दिनांक [illegible] 10.2012 को अप्रार्थी संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:31:42 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

से 3 तक की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये अधिकार पत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 तक की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 09 नियम 07 जा0दी0 का पेश किया। दिनांक 26.11.2012 को बाद सुनवाई वकील अप्रार्थी की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07 जा0दी0 को स्वीकार किया गया एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध अमल में लाई जा चुकी एक तरफा कार्यवाही को दौतरफा किये जाने का आदेश दिया गया, एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 3 तक के जवाब प्रार्थना पत्र को रिकार्ड पर लिया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 तक ने अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को असत्य होकर अस्वीकार किया एवं बताया कि प्रार्थी को धारा 89 राज0भू राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। रेड ऑकर मिनरल्स की तारीफ में आता है। इस हेतु केन्द्रीय सरकार की और से मेजर मिनरल्स रेगूलेशन एण्ड डेवलपमेंट एक्ट बना हुआ है जिसके अंतर्गत कार्यवाही की जाकर खनिज क्षेत्र में आने वाली भूमियों को अवाप्त किये जाने के संबंध में प्रावधान बने हुए है और मेजर मिनरल्स की लीज डीड की शर्तो में इस संबंध में उल्लेख है कि भांति खातेदारों की भूमि को अवाप्त किया जाए उस हेतु अलग से अवाप्ति अधिकारी का प्रावधान है ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नाकाबिल चलने के होकर निरस्त योग्य है। विपक्षीगण की प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी के लीज एरिया में नहीं आती है। प्रार्थी के पास एक बहुत बडा खनिज क्षेत्र स्वीकृत है जिस पर अभी प्रार्थी ने पूरा खनन कार्य नहीं किया है और प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि से पहले भी काफी किलोमीटर का एरिया प्रार्थी के पास बिना खनन किया पडा है। प्रार्थी को चाहिए की पहले वह उस क्षेत्र में खनन कार्य करे और तदन्तर विपक्षीगण की भूमि पर खनन करना आवश्यक हो तो उस हेतु अवाप्ति की कार्यवाही करावें। यहॉ यह भी उल्लेखित किया जाना उचित होगा कि वस्तुतः प्रार्थी को माईनिंग प्रयोजनार्थ विपक्षीगण की प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि की कोई आवश्यकता नहीं है। महज गरीब विपक्षीगण भीलों की भूमि को लेने के लिए गलत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जो खारीज किये जाने योग्य है। विपक्षीगण गरीब भील है और कृषि करना ही उनकी आजीविका का एक मात्र साधन है और प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि ही उनकी आजीविका का एक मात्र साधन है यदि विपक्षीगण की भूमि को अवाप्त कर लिया जाता है तो विपक्षीगण के समक्ष गम्भीर आर्थिक एवं आजीविका का संकट खडा हो जाएगा। अतः अवाप्ति की कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है। यहां यह भी उल्लेखित किया जाना उचित होगा कि विपक्षीगण की कृषि भूमि की कीमत 20,00,000 रूपये प्रति बीघा से कम नहीं है और चूंकि प्रार्थी कृषि भूमि का व्यवसायिक एवं औद्योगि प्रयोजनार्थ अवाप्त करवा उपयोग करना चाहता है और बडे सीमेंट उद्योगों में रॉ मेटेरियल सप्लाई कर भारी आर्थिक लाभ उठाना चाहता है इस बात को दृष्टिगत रखते हुए 20,00,000/- अक्षरे बीस लाख रूपये प्रति बीघा की तीन गुना की दर से मुआवजा दिलवाया जाना न्यायोचित है। यहां यह भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:31:42 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उल्लेखित किया जाना उचित होगा कि विपक्षीगण की कृषि भूमि पर कई पेड खडे है और विपक्षीगण ने काफी अंग मेहनत कर उन्हे व भूमि का आबाद किया है और विपक्षीगण भूमि हीन हो जाने से अन्य जगह विस्थापित होंगे इस कारण भी उन्हे विस्थापन का भी मुआवजा दिलाया जाना न्यायोचित होगा। अतः यह प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर विपक्षीगण माननीय न्यायालय से सादर प्रार्थना करते है कि प्रत्यत्तर स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जाए। दिनांक 15.02.2013 को प्रार्थी की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 जा0दी0 एवं आदेश 06 नियम 17 जा0दी0 के प्रार्थना पत्रों को रिकार्ड पर लिया गया। दिनांक 18.09.2013 को बाद सुनवाई वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 जा0दी एवं आदेश 06 नियम 17 जा0दी0 को स्वीकार किये गये एवं भूरा पिता उंकार जाति भील निवासी बराडा को पक्षकार संख्या 4 के रूप में संयोजित किया गया एवं अप्रार्थी संख्या 4 की और से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 06.03.2013 को रिकार्ड पर लिया गया। अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 4 में बताया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को सुनने का अधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है क्योंकि प्रार्थी की तथाकथित खदान प्रधान खनिज (मेजर मिनरल्स) से संबंधित नहीं है इसके लिए खान एवं खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 के अंतर्गत बनाये मिनरल्स कनसेशन रूल्स 1960 के अंतर्गत खनन कार्य करने के लिए लीज धारी द्वारा भूमि के मालिक को मुआवजा राशि अदा करना आवश्यक है और ऐसी कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा ही उक्त अधिनियम व एवं नियमों के अंतर्गत ही की जा सकती है। इस कारण प्रार्थी का आवेदन अंतर्गत धारा 89 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे होने से खारीज किये जाने योग्य है। प्रार्थी ने जिस तथाकथित खनिज लीज का वर्णन किया है उस खनन लीज डीड के खण्ड 8(1)(2) के अनुसार प्रार्थी भूमि के ओक्यूपायर को मुआवजा राशि प्रस्तावित करेंगा जिसके लिए यदि ओक्यूपायर अपनी सहमति नहीं दे तो प्रार्थी लीज धारी प्रस्तावित मुआवजा राशि राज्य सरकार में जमा करायेगा और इसके बाद राज्य सरकार भूमि अवाप्ति अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा राशि निर्धारण हेतु नियम 72(1) के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी को निर्देशित करेंगा जो मुआवजा राशि तय करेंगा। इसके लिए मुआवजा राशि खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 1957 के अंतर्गत बनाये गये नियम मिनरल कनसेशन रूल्स 1960 के अंतर्गत ही निर्धारित की जाएगी। क्योंकि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 89 के प्रावधान जनरल लॉ के प्रावधान है जबकि खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 1957 के प्रावधान स्पेशल लॉ के प्रावधान होने से इस मामले में धारा 89 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं होंगें। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 1957 के अनुसार प्रस्तुत नहीं होने से खारीज किये जाने योग्य है। प्रार्थी की तथाकथित खनन लीज डीड मेजर मिनरल के लिए है जो खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 1957 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:31:42 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अंतर्गत निर्मित खनन छूट नियम 1960 के प्रावधानों के अनुसार जारी नहीं की गई है। तथाकथित प्रार्थी की खनिज लीज डीड के खण्ड 8(1)(2) के अनुसार मुआवजा राशि के निर्धारण के संबंध लीज डीड में निम्न प्रावधान दिया हुआ है।

Acquisition of land of third parties and compensation-

If in accordance with the provision of clause 4 or part VII of this schedule the lessee/lessees shall offer to pay to an occupier of the surface of any part of the said lands compensation for any damage or injury which may arise from the proposed operationsof the lessee/lessees and the said occupier shall refuse his consent to the exercise of the right and power reserved to the State Government and demised to the lessee/lessees by these presents and the lessee/lesseesshall reports the matter to the State Government and shall deoposite with it the amount offered as compensation and if the Central/State Government is satisfied that the amount of compensation offered is fair and reasonable or if it si not satisfied and the lessee/lessees shall have deposited with it such further amount as the State and CentralGovernment shall consider fair andreasonable theState Government shall order the occupier to allow the lessee/lessees to enter the land and to cary out such operations as may benecessary for the purposr of thid lease.In assessing the amount be guided by the principle of the land Acquisition Act.

To renew-

If the lessee/lessees be desirous of taking a renewedl lease of the premisees hereby dismised or any part of them for a further term from the expiration of the term nearby granted and is otherwise eligible, he/they shall prior to the expiration of the last mentioned term give to the State Government twelve calendar month previous notice in writing and shall pay the rents, rates and royalties hereby reserved and shall observe the perform the several convenants and agreements herein contained and on the prat of the lessee/lessees to be observed and performed upto the expiration of the term hereby granted. The State Government on received of application for renewal shall consider if (in accordance with the provision of the Act and the rules made the ueunder) and shall pass orders as it deems fit.If renewal is granted the State Government will at the expense of the lessee/lessees and upon the executing and delivering to the State Government if require counter part therr of execute and deliver to the lessee/lessees a renewal lease of the said premises or part thereof for the for the further term of ……….. years at such rents rates and royalties and on such term and subject to such rents, rates and royalties and on the such term and subject to such convented and agreements including the present couenant to a reneiw as shall be in accordance with the Mineral Concession rules, 1960. Application to

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:31:42 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

.... (name of minerals) on the day next following the expiration of the term hereby granted.

उपरोक्त शर्तो से स्पष्ट है कि प्रार्थी क पक्ष में जो तथाकथित लीज निष्पादित हुई है उस लीज डीड में वर्णित शर्तो के अनुसार खनिज छूट नियम 1960 के नियम 31 निर्धारित लीज की शर्तो के अनुसार ही खातेदारी की भूमि अवाप्त की जाने की कार्यवाही की जाना अपेक्षित है। इसलिए माननीय न्यायालय को धारा 89 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही का क्षेत्राधिकार नहीं होने से प्रार्थी का आवेदन निरस्तनीय है। प्रार्थी ने जो दस्तावेज पेश किये है वे असल दस्तावेज नहीं है तथा न ही प्रमाणित प्रतिलिपियां है। केवल फोटोस्टेट प्रतियां है इसलिए कानूनी प्रावधानों के अनुसार साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। इस कारण भी प्रार्थी का आवेदन अंतर्गत धारा 89 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट खारीज किये जाने योग्य है। प्रार्थी की तथाकथित लीज डीड व उसके साथ संलग्न नक्शें में मानजी का गुडा की आराजी संख्या 220/3 एवं 220/5 का उल्लेख नहीं है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 89 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के साथ ऐसा कोई राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित नक्शा पेश नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि गांव मानजी का गुडा की आराजी संख्या 220/3 व 220/5 प्रार्थी को स्वीकृत किये गये तथाकथित खनन एरिये में हो। उक्त प्रमाण के अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 89 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 खारीज किये जाने योग्य है। प्रार्थी को तथाकथित माईनिंग लीज में कुल कितने एरिया को स्वीकृत किया गया है और प्रार्थी ने उस स्वीकृत एरिया में कितने एरिया भूमि का खनन के लिए उपयोग कर लिया गया है ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि विपक्षी उत्तर दाता की खातेदारी की कृषि भूमि की प्रार्थी को खनन कार्य हेतु आवश्यकता का कोई ठोस कारण उपलब्ध हो क्योंकि प्रार्थी श्रीमान के समक्ष क्लीन हैंड से नहीं आया है और संपूर्ण वस्तु की स्थिति को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है इसलिए प्रार्थी का यह कथन ठोस प्रमाण का आधार पर आधारित नहीं होने से कि प्रार्थी को उत्तर देता विपक्षी की खातेदारी की कृषि भूमि की खनन कार्यो के लिए आवश्यकता है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवश्यकता के ठोस कारण पर आधारित नहीं होने से खारिज किए जाने योग्य है। विपक्षीगण अनुसूचित जनजाति के हैं और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 बी के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जनजाति के खातेदारों की भूमि को अनुसूचित जनजाति वाले ही खरीद फरोख्त कर सकते हैं स्वर्ण जाति के या अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति के खातेदारों की भूमि को खरीद करने का अधिकार नहीं होता है। विपक्षी गण जो भील जाति के हैं की भूमि को देखते हुए उक्त कारण से डीएलसी रेट काफी कम है और वर्तमान बाजार दर के मुक्ति रेट काफी कम है मुआवजा निर्धारण का मौलिक अधिकार डीएलसी दर नहीं होकर बाजार दर होती है वर्तमान में मानजी का गुड़ा गांव की बाजार दर [illegible]/– रुपए प्रति बीघा है जो कि प्रार्थी आलोच्य भूमि में [illegible] कर खनन कर कीमती खनिज

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:31:42 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निकालकर सीमेंट इण्डस्ट्री को खनन सप्लाई करना चाहता है और आलौच्य भूमि में से खनन निकालकर करोड़ों रुपए का लाभ अर्जित करना चाहता है और प्रार्थी का उद्देश्य औद्योगिक भूमि अवाप्ति का होने से माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार अवाप्ति के पक्ष को देखते हुए बाजार दर से 5 गुना रेट आलोचक कृषि भूमि की दिलाना माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रतिपादित सिद्धांतों में वर्णित किया है इस तथ्य को माननीय न्यायालय नजरअंदाज नहीं कर सकता है प्रार्थी अपने आप को खनन लीज होल्डर बताकर खनन लीज के आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष आया है इस लिस्ट में आवश्यकता थर्ड पार्टीज की भूमि की अवाप्ति संबंधी प्रावधान से प्रार्थी बाध्य है। इन प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 89 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट निरस्तनीय है। अतः प्रस्तुत कर दाता माननीय न्यायालय से सादर प्रार्थना करता है कि प्रत्युत्तर स्वीकार फरमाया जा कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 89 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम सव्यय निरस्त फरमाया जाए।

दिनांक 11.09.2019 को उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा पूर्व में प्रस्तुत लिखित बहस जो कि शामिल पत्रावली थी उसे रिकार्ड पर लिया गया। दिनांक 22.01.2021 को उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा की गई मौखिक बहस पत्रावली को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि प्रार्थी को रेड ऑकर खनन हेतु खनन क्षेत्र में आने वाली भूमि का प्रार्थी के पक्ष में राजस्थान सरकार द्वारा माइनिंग लीज जारी की गई वह लीज डीड दिनांक 20.07.2009 को निष्पादित हुई वर्तमान में लीज डीड प्रभाव शील है। लीज एरिया क्षेत्र में खातेदारान की निजी खातेदारी की भूमि स्थित है जिसकी प्रार्थी को रेड ऑकर खनन हेतु आवश्यकता है उक्त भूमि विक्रय पत्र से भूरा पिता उंकार भील निवासी बराड़ा नाम दर्ज अभिलिखित है। प्रार्थी को माइनिंग प्रयोजनार्थ राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 89 में वर्णित कार्यो के लिए आवश्यकता है, उसके अभाव में प्रार्थी रेड ऑकर खनन हेतु द्रुतगति से अपनी योजना अनुसार कार्य नहीं कर पाएगा। प्रार्थी उक्त आराजीयात के उपयोग उपभोग करने हेतु उक्त भूमि का आधिपत्य भी प्राप्त करना चाहता है। प्रकरण में लिखित बहस भी दी गई है जिसमें विपक्षी ने अपनी लिखित बहस में यह तथ्य अंकित किए हैं कि प्रार्थी के द्वारा जिस प्रयोजन के लिए भूमि अवाप्त किए जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है वह मेजर मिनरल नहीं होकर माइनर मिनरल है जिस पर धारा 89 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं इसके लिए अलग से खान एवं खनिज अधिनियम 1957 के तहत बनाए गए नियम कंसेशन रूल्स 1960 के अनुसार ही निर्धारित किए जावे, उक्त आपत्ति में विपक्षी की गलत आपत्ति है, जबकि रेड ऑकर मेजर मिनरल है एवं मेजर मिनरल के लिए धारा 89 के प्रावधान लागू होते हैं, प्रार्थी को उक्त भूमि के संबंध में माइनिंग लीज जारी की हुई है जिसका नक्शा भी प्रार्थी के पक्ष में स्वीकृत किया गया है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का अवार्ड आदेश प्रार्थी के पक्ष में जारी किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है, अतः श्रीमान

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:31:42 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

से निवेदन है कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजा मानजी का गुड़ा तहसील भदेसर की आराजी संख्या 220/3, 220/5 जो प्रार्थी के पक्ष में जारी माइनिंग लीज के अंतर्गत आता है जिसका मुआवजा राशि तय की जाकर खातेदार को भुगतान कराया जाकर प्रार्थी को उक्त आराजीयात का खनन कार्य हेतु कब्जा दिलाया जाने का आदेश प्रदान कराया जाए। इसके जवाब में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहराया एवं बताया कि तथाकथित खदान प्रधान खनिज मेजर मिनरल रेड ऑकर से संबंधित है इसीलिए खान एवं खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 के अंतर्गत बनाए मिनरल्स कंसेशन रूल्स 1960 के अंतर्गत खनन कार्य करने के लिए लीज जारी द्वारा भूमि के मालिक को मुआवजा राशि अदा करना आवश्यक है और ऐसी कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा ही की जा सकती है। माननीय न्यायालय को उक्त अधिनियम व उसमें बने नियमों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी नियुक्त नहीं किया हुआ है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को सुनने का अधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है। और इसी बिंदु पर प्रार्थी का आवेदन अंतर्गत धारा 89 राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थी ने जिस खनन लीज का वर्णन किया है उस खनन लीज डीड के खंड 8(1)(2) के अनुसार प्रार्थी भूमि के ओक्यूपायर को मुआवजा राशि प्रस्तावित करेगा जिसके लिए यदि अपनी सहमति नहीं दे तो प्रार्थी लीज धारी प्रस्तावित मुआवजा राशि राज्य सरकार में जमा करायेगा और इसके बाद राज्य सरकार भूमि अवाप्ति अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा राशि निर्धारण हेतु नियम 72(1) के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी को निर्देशित करेगा जो मौजा राशि तय करेगा इसके लिए मौजा राशि खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 1957 के अंतर्गत बनाए गए नियम मिनरल कन्सेशन रूल्स,1960 के अनुसार ही निर्धारित की जाएगी, चूंकि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 89 के प्रावधान जनरल लॉ के प्रावधान है जबकि खान खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के प्रावधान होने से इस पर इसके ही प्रावधान लागू होंगे और धारा 89 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे प्रार्थना पत्र उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत नहीं होने से खारीज योग्य है। प्रार्थी की खनन लीज डीड मेजर मिनरल के लिए है जो खान व खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 के अंतर्गत छूट के प्रावधान के अनुसार जारी की गई है 8(1)(2) के अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण के संबंध लीज डीड में प्रावधान है। उक्त शर्तों से स्पष्ट है कि प्रार्थी के पक्ष में जो लीज निष्पादित हुई है उस लीज डीड में वर्णित उक्त शर्तों के अनुसार खनिज नियम 1960 के नियम 31 निर्धारित लीज की शर्तों के अनुसार ही खातेदारों की भूमि अपनी की कार्यवाही की जाना अपेक्षित है। इसलिए माननीय न्यायालय आप धारा 89 राजस्थान लैंड रिवेन्यू एक्ट के अंतर्गत का अधिकार नहीं होने से प्रार्थी का आवेदन निरस्त है। प्रार्थी को तथाकथित माईनिंग लीज में कुल कितने एरिया को स्वीकृत किया गया है और प्रार्थी ने उस स्वीकृत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:31:42 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एरिया में कितने एरिया भूमि का खनन के लिए उपयोग कर लिया गया है ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि विपक्षी उत्तर दाता की खातेदारी की कृषि भूमि की प्रार्थी को खनन कार्य हेतु आवश्यकता का कोई ठोस कारण उपलब्ध हो क्योंकि प्रार्थी श्रीमान के समक्ष क्लीन हैंड से नहीं आया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवश्यकता के ठोस कारण पर आधारित नहीं होने से खारिज किए जाने योग्य है। विपक्षीगण अनुसूचित जनजाति के हैं और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 बी के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जनजाति के खातेदारों की भूमि को अनुसूचित जनजाति वाले ही खरीद फरोख्त कर सकते हैं स्वर्ण जाति के या अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति के खातेदारों की भूमि को खरीद करने का अधिकार नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 89 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 खारीज किये जाने योग्य है। इस ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को मुआवजा अदा किये जाने के संबंध में मौखिक प्रस्ताव प्रस्तावित किया जिसे अप्रार्थीगण द्वारा अस्वीकार किये जाने पर ही प्रार्थी न्यायालय के समक्ष अंतर्गत धारा 89 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधानों में प्रस्तुत हुआ है, इस संबंध में क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान् को है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक परिशीलन किया। सुनी गई बहस के तथ्यों पर मनन किया। पत्रावली को निर्णय हेतु रखा गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात अभिलेख का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। मनन किया। हमने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89 के प्रावधानों का अवलोकन किया। अधिनियम की धारा 89 (2) एवं (3) के प्रावधानों के अनुसार –

"(2) The right to all mines and quarries includes the right of access to land for the purpose of mining and quarrying and the right to occupy such other land as may be necessary for purposes subsidiary thereto, including the erection of offices, workmen's dwellings and machinery. The staking of minerals and deposit of refuse, the construction of roads, railways or tram lines, and any other purposes which the State Government may declare to be subsidiary to mining and quarrying.

(3) If the State Government has assigned to any person its right over any minerals, mines or quarries, and if for the proper enjoyment of such right, it is necessary that all or any of the powers specified in sub-sections (1) and (2) should be exercised by such person, the Collector may, by an order in writing,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:31:42 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

subject to such conditions andreservations as he may prescribe; delegate such powers to the person to whom the right has been assigned:
Provided that no such delegation shall be made until notice has been duly served on all persons having rights in the land effected and their objection have been heard and considered." है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 89 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रार्थना पत्र की क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पोषणीय पाया है। इसके साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज लीज अनुबंध संख्या M.L.No.- 15/2005 के अवलोकन से जाहिर होता है कि अनुबंध पृष्ठ संख्या 15 में तीसरे पक्ष की भूमि के मुआवजा एवं अधिग्रहण के संबंध में शर्त अंकित गई है। जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को मुआवजा राशि दिया जाना प्रस्तावित किया जायेगा, किन्तु इस संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई ठोस दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है, एवं तथ्य ठोस दस्तावेज का मोहताज है जिससे यह तय किया जा सकता है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को मुआवजा अदा किया जाना प्रस्तावित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा लीज अनुबंध की पालना भी नहीं किया जाना प्रतीत होता है। इसके साथ ही जहां तक राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89 के प्रावधानों के अध्यधीन प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जिससे यह तय किया जा सके कि प्रार्थी को अपने खनन कार्य हेतु विवादित आराजीयात की अत्यन्त आवश्यकता है एवं इस विवादित आराजीयात के अभाव में प्रार्थी के खनन कार्य प्रभावित हो रहा है, इसके साथ ही अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में उठाये गये तथ्य कि प्रार्थी को माईनिंग लीज में कुल कितने एरिया को स्वीकृत किया गया है और प्रार्थी ने उस स्वीकृत एरिया में कितने एरिया भूमि का खनन के लिए उपयोग कर लिया गया है। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा पत्रावली पर कोई ठोस दस्तावेज एवं तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट नहीं किये गये है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 89 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 को पूर्ण रूप से साबित कराये जाने में असफल प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी अशोक कुमार पिता राधेश्याम जोशी निवासी 42 आदर्श कॉलोनी निम्बाहेडा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 89 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 सारहीन होने से खारीज किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **29.01.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

(रतन कुमार)
अतिरिक्त कलेक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.10 19:31:42 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official